न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
फगलु पुत्र सोना जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील चितलवाना जिला जालोर		1.कोजा पुत्र बागला 2.खंगारा पुत्र बागला 3.किशना पुत्र बागला 4.गवरी पत्नी स्व.वगता 5.मगा पुत्र काछबा के कायम मुकाम:- 5/1.अगरी पत्नि मगा 5/2.अमराराम पुत्र मगा 5/3 केराराम पुत्र मगा 5/4.चुन्नीलाल पुत्र मगा 6.हरजी पुत्र धुडा 7.अमृति बेवा धुडा 8.तेजा पुत्र भींया 9.मंगला पुत्र भीया 10.पूनमा पुत्र भीया 11.कालू पुत्र सोना 12.मोटाराम पुत्र सांजनराम 13.चुन्नीलाल पुत्र साजनराम (नाबालिग) 14.बीरबल पुत्र साजनराम (नाबालिग) 15.रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मोटाराम पुत्र साजना 16.महेन्द्र कुमार पुत्र धरमाराम (नाबालिग) 17.निरमा पुत्री धरमाराम (नाबालिग) 18.संजय कुमार पुत्र धरमाराम (नाबालिग) 19.मीरा देवी पत्नी स्व.धरमाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 16,17,18(नाबालिग)वली जरिए माता रेस्पोडेन्ट 19 मीरा देवी। 20.किशनलाल पुत्र रामलाल 21.बाबूलाल पुत्र रामलाल 22. केरीदेवी पत्नी झालाराम जातियान मेघवाल निवासीगण रतनपुरा तहसील चितलवाना जिला जालोर 23.राज्य सरकार जरिये,तहसीलदार चितलवाना

प्रकरण संख्या अपील **41/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री साबिर हुसेन अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 10 तक

3- श्री सलीम जावेद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 11,12 से 21 तक

4-रेस्पोडेन्ट संख्या 22 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

5-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 26.09.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार चितलवाना के आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो राजस्व प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में खातेदार कोजा वगैराह बनाम तेजा में अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया है।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया जो प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में संबंधित पक्षकारो की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 22 की सयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम रतनपुरा में आई हुई है जिसके खसरा नंबर 595 रकबा 2.30 हेक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 597 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 598 रकबा 0.06 हेक्टर गैरमुमकिन खसरा नंबर 599 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 600 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 601 रकबा 0.02 हेक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 603 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन खसरा नंबर 604 रकबा 0.25 हैक्टर किसम सोयम, खसरा नंबर 605 रकबा 0.77 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 606 रकबा 0. 17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन खसरा नंबर 607 रकबा 1.30 हैक्टर बारानी सोयम, खसरा नबंर 608 रकबा 0.02 हेक्टर गैर मुमकिन, खसरा नंबर 609 रकबा 3.00 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 610 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल खसरा 14 रकबा 10.49 हैक्टर की भूमि सरहद मौजा रतनपुरा तहसील चितलवाना में स्थित है तथा दिनांक 29.01.2004 को खसरा नंबर 608 रकबा 0.02 हैक्टर व 609 रकबा 2.88 हैक्टर भूमि का रेस्पोडेन्ट सं. 22 केरीदेवी को अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट ने बेचान की थी तथा उक्त भूमि का आपसी सहमती से बंटवाडा प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2013 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने उपरोक्त आराजी का बंटवाडा प्रस्ताव बाबत पटवारी रतौडा एंव तहसीदार द्वारा बंटवाडा किया गया। उक्त बंटवाडा में अपीलान्ट के पिता सोना व रेस्पोडेन्टगण के पिता व दादा की पुश्तैनी आराजी में बंटवाडा किया गया तथा उक्त बंटवाड़ा में अपीलान्ट को 2.83 हैक्टर की आराजी बंट में दी गयी क्योंकि अपीलान्ट के पिता सोना,भीया,काछवा व वागा चार भाई थे तथा इनकी रतनपुरा के अलावा सरहद मौजा चितलवाना के पूर्व खसरा नंबर 1033 में कूल रकबा 24 बिघा 17 बिस्वा किस्म भूमि बारानी दोयम थी।प्रथम सैटलमेन्ट के समय भीया,सोना,काछबा,वागा,विरदा पिसरान मुकना के सयुक्त कब्जे की थी। प्रथम सेटलमेन्ट के समय सोना व विरधा ने चितलवाना की भूमि मे से अपना सम्पूर्ण हिस्सा निकाल दिया तथा भीया, वागा, काछबा पिसरान मुकना के हक में बयान दिये इस कारण उपरोक्त तीनो व्यक्यिो के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही शेष भूमि रतनपुरा की मुकना के तमाम परिवारजनो के संयुक्त खातेदारी की रही। विरधा को पहले से ही अलग से भूमि दे दी गई थी तथा उसके नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हिस्सा नही रहा।इस प्रकार काछबा व बागा के वारिशानो को मौजा चितलवाना में भूमि ज्यादा देने के कारण मौजा रतनपुरा में सोना व भीया को उपरोक्त खसरा नंबर की आराजी में भूमि ज्यादा दी गई ।मगर तहसीलदार ने निर्णय पारित करते हुए तमाम साक्षीयो व अपीलांट को अनसुना कर जो निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट यह अपील निम्न आधारो पर अपील पेश करता है।तहसीलदार चितलवाना द्वारा वर्ष 2013 प्रशासन गावो के संग अभियान में आपसी सहमति से बंटवाडा तत्कालीन तहसीलदार ने तमाम साक्षीयो के आधार व दस्तावेजात के आधार पर पारित किया गया था जिसमें सोना व भीया को मौजा रतनपुरा में उपरोक्त खसरा नंबर की आराजी में ज्यादा भूमि बंट में दी गई क्योंकि सरहद मौजा चितलवाना में अपीलांट के पिता सोना के भाईयो भीया, सोना, काछबा,वागा, विरधा पिसरान मुकना के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मौजा चितलवाना के पुराने खसरा नंबर 1033 कुल रकबा 24 बीघा 17 विस्वा किस्म बारानी दोयम की प्रथम सैटलमेन्ट के समय संयुक्त कब्जे की थी तथा प्रथम सैटलमेन्ट के समय सोना व विरधा ने चितलवाना की भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा निकाल

दिया तथा भीया,वागा व काछबा पिसरान मुकना के हक में बयान दिये गये इस कारण उपरोक्त तीनो व्यक्तियो के नाम ही मौजा चितलवाना की आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही । रतनपुरा की शेष भूमि मुकना के तमाम परिवार के संयुक्त खातेदारी की रही तथा विरधा को पहले से ही अलग से भूमि दे दी गई थी जिससे विरधा का नाम खातेदारी में अलग से दर्ज होने के कारण विरधा का कोई हिस्सा नही रहा। विरधा के एक मात्र झालाराम का स्वर्गवास हो जाने से झालाराम के पुत्र बाबू व हरू अपने हिस्से पर पृथक से काबिज है। इस प्रकार तहसीलदार ने उपरोक्त साक्ष्यो के बिना व दस्तावेजात के बिना आदेश व निर्णय पारित करने मे कानूनी व वाक्याती भूल की है।आपसी सहमति से बंटवाडा में अपीलांट के पिता सोना, भीया, काछबा व वागा के वारिशान सन्तुष्ट थे तथा उन्होंने उपरोक्त रतनपुरा की आराजी के अलावा चितलवाना की आराजी उनके बंट में आने से तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति से बंटवाडा पेश किया था मगर काछबा व वागा के वारीसानो ने मौजा चितलवाना की आराजी का हवाला न देते हुए जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय मे एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई तथा उक्त पत्रावली अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर को विधीपूर्वक स्थानान्तरित की गई तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के राजस्व अपील संख्या 07/2014 दिनांक 02.07.2015 में तत्कालीन तहसीलदार चितलवाना द्वारा जो आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 31.01.2013 क्रमांक राजस्व/32-33 के आदेश को निरस्त किया जाकर एवं प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को प्रेषित किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि उभय पक्षो को पुन:सुनकर विधीसम्मत कार्यवाही करे। मगर तहसीलदार ने गवाह हरजीराम पुत्र धुडाराम, खंगाराराम पुत्र वगताराम, कोजाराम पुत्र वागाराम, मगाराम पुत्र काछबाराम के बयान कलमबंद किए गये तथा इन्होंने अपने बयानो में मौजा रतनपुरा की आराजी का जिक्र कर उक्त आराजी 1/4-1/4 हिस्से में बंट करने को निवेदन किया जबकि उपरोक्त लोगो के बयानो मौजा चितलवाना की आराजी का कोई ज्रिक नही किया गया तथा तहसीलदार द्वारा जो बयान कलमबंद किए गये उनको मौजा चितलवाना में अलग से भूमि दी गई थी इस प्रकार तहसीलदार ने बिना साक्ष्य व दस्तावेजात की जांच किए जो आदेश पारित किया है वह हर सूरत मे निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार चितलवाना ने जिस समय बयान दर्ज किये उस समय अपीलांट को सुना नही गया तथा अपीलांट ग्रामीण तबके के होने के कारण जालोर से जो निर्णय पारित किया उसमें अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि फैसला हो गया है अब तेरे आने की कोई जरूरत नही है।इस प्रकार तहसीलदार ने एक तरफा कार्यवाही कर जो आदेश पारित किया है वह हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलांट को व रेस्पोडेन्टस सोना के वारिशान को 2.83 हैक्टर की भूमि दी गई है रेस्पोडेन्ट तेजा, मगल, पूनमा को चितलवाना की आराजी में शामलाती भूमि पूर्व खसरा नंबर 1033 देने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी में से रेस्पोडेन्टस कोजा को खसरा नंबर 610 में से 0.83 हैक्टर एवं रेस्पोडेन्ट खंगारा, किशना,श्रीमती गवरी,मंगा, हरजी व अमरती को खसरा नंबर 607 में से 0.70 हैक्टर एवं खसरा नंबर 609 में से सम्पूर्ण 0.12 हैक्टर भूमि दी गयी है।इस प्रकार कुल 0.82 हैक्टर भूमि दी गई है।रेस्पोडेन्ट संख्या 8,9,10 को कुल रकबा 2.86 हैक्टर विभाजन के जरिए दी है तथा खसरा नंबर 767/605, 768/607, 769/610, 770/610 कुल 0.25 हैक्टर भूमि रास्ता व शमशान के प्रयोजनार्थ शामलाती छोडी गई है इस प्रकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर की अदालत में अपीलांट द्वारा जो जबाब पेश किया गया उक्त जबाब पर भी गौर न फरमाने में निर्णय पारित करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।तहसीलदार चितलवाना द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस की पूर्ण सहमति थी तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के बीच पूर्व में समाज के मौजीज लोगो व परिवार के लोगो की पूर्ण सहमति थी तथा उक्त सहमति के आधार पर ही आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में भारी भूल की है।अपीलांधीन आदेश /निर्णय की जानकारी अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 30.10.2018 को होने पर तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त की गई तथा अपीलांट द्वारा जालोर से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय से

निर्णय की प्रति 19.11.2018 को आवेदन करने पर दिनांक 22.11.2018 को प्राप्त हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। इससे पूर्व अपीलांट को दोनो अदालतो के निर्णयो की कोई जानकारी नही थी निर्णयो की प्रतिया लेकर अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा कर व खर्चे आदि की व्यवस्था कर यह अपील पेश की जा रही है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे हुई देरी को कन्डोन फरमाते हुए अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे। अत: अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त व शून्य करार फरमाने का हुक्म फरमावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांन्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया गया है कि ग्राम रतनपुरा तहसील चितलवाना में स्थित अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 22 की संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमती से बंटवाडा वर्ष 2013 में अपीलांट के पिता सोना व रेस्पोडेन्ट के पिता व दादा की पुश्तैनी आराजी का बंटवाडा किया गया। उक्त बंटवाडे में अपीलांट को 2.83 हैक्टर आराजी बंट में दी गई थी।क्योकि अपीलांट के पिता सोना, भीया, काछवा, व वागा चार भाई थे तथा रतनपुरा के अलवा सरहद मौजा चितलवाना के पूर्व खसरा नंबर 1033 कुल रकबा 24 वीघा 17 विस्वा थी जो प्रथम सेटलमेन्ट के समय भीया, सोना,काछवा वागा विरदा पिसरान मुकना के संयुक्त कब्जे की थी प्रथम सेटलमेन्ट के समय सोना व विरदा ने चितलवाना की भूमि से अपना सम्पूर्ण हिस्सा निकाल दिया।तथा भीया वागा काछवा पिसरान मुकना के हक मे बयान दिये जिस कारण उपयुक्त तीनो व्यक्तियो के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही शेष भूमि रतनपुरा की मुकना के तमाम परिवारजनो के सयुक्त खातेदारी रही। विरदा को पहले से ही अलग भूमि दे दी गयी थी। इस कारण वादग्रस्त भूमि में विरदा का कोई हिस्सा नही रहा है।मौजा चितलवाना की भूमि में काछवा व वागा के वारिशानो को ज्यादा भूमि देने के कारण मौजा रतनपुरा में सोना व भीया को ज्यादा भूमि दी गई है।मगर तहसीलदार द्वारा तमाम तथ्यो को नजर अंदाज कर दिनांक 12.09.2018 को निर्णय पारित किया है।इसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। तहसीलदार चितलवाना द्वारा 2013 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में सभी भाईयो का आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया था।विरदा के एक मात्र पुत्र झालाराम का स्वर्गवास हो जाने से झालाराम के पुत्र बाबू व हरू अपने हिस्से पर पृथक से काबिज है। आपसी सहमति से बंटवाडा में अपीलांट के पिता सोना,भीया,काछवा व वागा के वारिशान संतुष्ट थे इस कारण रतनपुरा की भूमि के अलवा चितलवाना की भूमि उनके बंट में आने से तहसीलदार के समक्ष बंटवाडा पेश किया गया था।मगर काछवा व वागा के वारिशान में चितलवाना की भूमि का हवाला नही देते हुए श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में स्थानान्तरित होने पर अपील संख्या 7/2014 निर्णय दिनांक 02.07.2015 के जरिये बंटवाडा आदेश कमांक/राज/3233 दिनांक 31.01. 2013 निरस्त किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को विधिसंमत कार्यवाही हेतु भेजा गया।तहसीलदार ने हरजीराम, खगाराम, वागाराम के बयान लिये जिस में उक्त आराजी 1/4 1/4 हिस्से में बंट करने का निवेदन किया जबकि गवाह ने मौजा चितलवाना की भूमि का जिक नही किया।अपीलांट ग्रामीण तबके का होने के कारण अपीलांट को बिना सुने ही तहसीलदार द्वारा एक तरफा आदेश पारित किया गया है।तहसीलदार चितलवाना द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट जालोर की अदालत में अपीलांट द्वारा जो जबाब पेश किया गया, उस पर कोई गौर नही किया गया है। जबकि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की पूर्ण सहमति के आधार पर बंटवाडा स्वीकृत किया गया था।इन सभी तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुए तहसीलदार चितलवाना द्वारा दिनांक 12.09.2018 को निर्णय पारित किया है, जो बिना किसी आधार के होने से अपीलांट की अपील स्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सभी पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से शामलाती खातेदारी भूमि का प्रशासन गांवो के संग अभियान-2013 में बंटवाडा पेश करने

पर तहसीलदार चितलवाना द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसी बंटवाडे के विरूद्ध अपीलांट कोजा पुत्र बागला वगैराह द्वारा अपील पेश की गई जो अपील संख्या 07/2014 कोजा वगैराह बनाम तेजा वगैराह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा दिनांक 02.07.2015 को निर्णय कर तहसीलदार चितलवाना द्वारा स्वीकृत किये गये बंटवाडे को निरस्त कर तहसीलदार चितलवाना को निर्देश दिये कि उभय पक्ष को पुन:सुनकर विधिसम्मत कार्यवाही करे। अपील निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा वर्ष 2013 में स्वीकृत हुये बंटवाडे पर पक्षकारान की सुनवाई कर दिनांक 12.09.2018 को निर्णय पारित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांक/कोर्ट /2015/918 दिनाक 14.07.2015 की पालना में कार्यालय हाजा के द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक/राजस्व/32-33 दिनांक 31.01.2013 को निरस्त किया जाता है।अपीलांट द्वारा तहसीलदार चितलवाना द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध यह अपील पेश कर वर्ष 2013 में स्वीकृत हुये बंटवाडा आदेश को यथावत रखने हेतु पेश की है।जबकि खातेदार धर्माराम के फौत होने पर उनके वारिशान सुनीलकुमार,महेन्द्र कुमार, निरमा, संजयकुमार, पि.धर्माराम,मीरा देवी पत्नि धर्माराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बावजूद भी वर्ष 2013 में हुए बंटवाडे में सुनीलकुमार को पक्षकार नही बनाया गया एवं बंटवाडे में दी गई भूमि में कमी-बेशी का अंतर ज्यादा होने से दिनांक 02.07.2015 को बंटवाडा निरस्त हो चुका है।तहसीलदार द्वारा अपील निर्णय की पालना मे विधिवत सुनवाई कर दिनांक 12.09. 2018 को निर्णय पारित किया जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के बिन्दु पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 में ग्राम रतनपुरा तहसील चितलवाना में स्थित खसरा नंबर 595, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, कुल रकबा 7.59 हैक्टर के खातेदारान् द्वारा सयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु दिनांक 31.01.2013 को तहसीलदार चितलवाना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट किये जाने के आधार पर तहसीलदार चितलवाना द्वारा स्वीकृति आदेश क्रमांक/राजस्व/32-33 दिनांक 31.01.2013 जारी किया गया।उक्त आदेश के विरूद्ध कोजा पुत्र बागला वगैराह द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 07/2014 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा दिनांक 02.07.2015 को निर्णय पारित किया गया कि जमाबंदी संम्बत 2067 से 2070 में लगे लाल स्याई से नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 223/31.05.2013 के जरिये धर्माराम के फौत होने पर उसके स्थान पर सुनील कुमार, महेन्द्रकुमार, निरमा, संजयकुमार,पि.धर्माराम, मीरादेवी पत्नी धर्माराम को रेकर्ड पर लिया गया परन्तु बंटवाडे में भूमि महेन्द्रकुमार, निरमा, संजयकुमार,मीरादेवी के नाम ही दर्ज किये गये, सुनील कुमार जो कि खातेदार है को पूर्णतया छोड दिया गया है एवं रकबा भी कमी-बेशी दिया गया है।कमी-बेशी अन्तर भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन बंटवाडा निरस्त योग्य पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार चितलवाना का आदेश दिनांक 31.01.2013 क्रमांक/राजस्व/32-33 निरस्त किया जाता है।एवं प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्ष को पुन:सुनकर विधिसम्मत कार्यवाही करे। निर्णय दिनांक 02.07. 2015 में प्राप्त निर्देशो अनुसार तहसीलदार चितलवाना द्वारा दिनांक 07.09.2015 को पत्रावली कायम कर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 12.09.2018 को निर्णय पारित किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांक/कोर्ट /2015/918 दिनाक 14.07.2015 की पालना में कार्यालय हाजा के द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक/राजस्व/32-33 दिनांक 31.01.2013 को निरस्त किया जाता है। व रेकर्ड की दिनांक 31.01.2013 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।अपीलांटस की ओर से तहसीलदार चितलवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 26.11.2018 को प्रस्तुत कर दिनांक 31.01.2013 को स्वीकृत हुये बंटवाडे को यथावत बहाल रखा जाने हेतु निवेदन किया है।जबकि बंटवाडा स्वीकृति आदेश दिनांक 31.01.2013 को अपील संख्या 7/2014 के निर्णय दिनांक 2.07.2015 में ही निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को पुन:सुनवाई कर विधिसंमत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिस पर सुनवाई कर तहसीलदार चितलवाना द्वारा दिनांक 12.09.2018 को विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जहां तक बंटवाडा स्वीकृति आदेश दिनाक 31.01.2013 को

यथावत रखने का प्रश्न है तो अपीलांट को अपील संख्या 07/2014 के निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो नही की गई है। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रहे खातेदार को धारा 53 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत हुए आवेदन पत्र अनुसार खातेदारी हको से वंचित नही रखा जा सकता। जबकि इस प्रकरण में खातेदार सुनीलकुमार पुत्र धर्माराम को बंटवाडा दिनांक 31.01.2013 अनुसार बंट में भूमि नही दी गई है।वर्ष 2013 में प्रस्तुत किये गये बंटवाडा आवेदन पत्र में खातेदारान को कम-ज्यादा भूमि दिये जाने के कारण का कोई उल्लेख नही किया गया है। संयुक्त खातेदारी में हिस्से से दर्ज कम-ज्यादा भूमि बंट में दिये जाने पर किसी भी सह-खातेदार को आपति होने पर इन बिन्दुओ का निर्धारण नियमित राजस्व वाद के जरिये ही तय किया जा सकता है। जिसके लिए प्रत्येक खातेदार विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।अत: अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2015 के जरिये बंटवाडा आदेश दिनांक 31.01.2013 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को प्रतिप्रेषित किया गया व पक्षकारो की पुन:सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की पुन:सुनवाई की जाकर नये सिरे से दिनांक 12.09.2018 को निर्णय पारित किया गया।इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व बंटवाडा आदेश दिनांक 31.01.2013 न्यायपूर्ण व विधिक आधारो पर सही नही होने से निरस्त कर रिकोर्ड की पूर्व स्थिति अर्थात बंटवाडा दिनांक 31.01.2013 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निर्णय किया।उक्त निर्णय दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध पुन:यह अपील की गई है।पूर्व विवेचन अनुरूप ऐसा कोई तथ्य या विधिक आधार नही है जिससे तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.09.2018 को गलत ठहराया जा सके। वैसे भी पक्षकार पुन:बंटवाडे हेतु विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।अत:यह अपील चलने योग्य नही होने से अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज 26.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 16:41:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: